उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-71/2023/914/छप्पन-2023-06/2001
लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-68/2023/759/छप्पन-2023/06/2001 दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा जनपद सहारनपुर में निर्माणाधीन सरसावा एयरपोर्ट हेतु 500 केवीए विद्युत भार संयोजन अवमुक्त किये जाने हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सरसावा से 11 केवी स्वतंत्र पोषक के निर्माण हेतु संशोधित धनराशि रू0 6,31,30,864/- (रूपए छ: करोड़ इक्कतीस लाख तीस हजार आठ सौ चौंसठ) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- अवगत कराना है कि बजट अलाटमेन्ट सिस्टम में ऑनलाइन त्रुटि होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य'' के स्थान पर "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800- अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' अंकित हो गया है। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-68/2023/759/छप्पन-2023/06/2001 दिनांक 16 जून, 2023 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

पृ0संख्या-71/2023/914(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन, टी0सी0-ई0वी-।, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-10
4- जिलाधिकारी, सहारनपुर
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सहारनपुर।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in